सं0 2431/यूपीनेडा–सो0रूफटाप/पीएम सूर्यघर–शिकायत/2019–20
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दिनांकः 04 जुलाई, 2025

कार्यालय ज्ञाप

यूपीनेडा के पत्र संख्या 1570/यूपीनेडा–सोलर रूफटॉप/शिकायत/ 2019–2020 दिनांक 27.05.2025 द्वारा फर्म मैसर्स वी एन सौर ऊर्जा प्रा0लि0, लखनऊ को एक वर्ष के लिए काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की गयी थी। उक्त आदेश दिनांक 27.05.2025 के विरूद्व फर्म द्वारा मा0 उच्च न्यायलय के समक्ष एक याचिका रिट–सी संख्या–5729 वर्ष 2025 (मैसर्स वी एन सौर ऊर्जा प्रा0लि0 द्वारा निदेशक श्री नीरज बाजपेयी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य) दाखिल की गयी है। उक्त रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 06.06.2025 द्वारा मा0 उच्च न्यायलय ने उपरोक्त आदेश दिनांक 27.05.2025 को स्थगित कर दिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 06.06.2025 के अनुपालन में फर्म मैसर्स वी एन सौर ऊर्जा प्रा0लि0, लखनऊ को काली सूची में डाले जाने का आदेश स्थगित किया जाता है।

यह आदेश मा0 उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण में पारित किये जाने वाले अग्रिम आदेशों के आधीन होगा।

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक, यूपीनेडा।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड, लखनऊ/कैस्को, कानपुर/टोरेंट पावर, लिमिटेड, आगरा/नोयडा पावर कम्पनी लिमिटेड, गौतमबुद्धनगर।
2. निदेशक, सूचना विभाग, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ/मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी, यूपीनेडा।
5. परि0अधि0, यूपीनेडा, लखनऊ।
6. प्रचार अधिकारी, यूपीनेडा।
7. प्रभारी कम्पयूटर।
8. मै0 वी0 एन0 सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0. इन्दिरानगर. लखनऊ 226016

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक,यूपीनेडा।